

आयुष मलेरिया रोग नियंत्रण अभियान – 2019

आयुष विभाग
म.प्र. शासन

स्वास्थ्य विभाग
म.प्र. शासन

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

आयुष मलेरिया रोग नियंत्रण अभियान – 2019 के तहत आयुष विभाग द्वारा बैतूल जिले के 4 विकास खण्डों के 24 उप.स्वा.केन्द्र के अंतर्गत 134 ग्रामों के सभी लोगों को होम्योपैथी औषधि मलेरिया ऑफ 200 का सेवन कराया जावेगा।

सहयोगी विभाग

1. आयुष विभाग
2. स्वास्थ्य विभाग
3. महिला एवं बाल विकास विभाग

विकास खण्डवार औषधि वितरण की जानकारी

क्रं.	ब्लॉक का नाम	उप.स्वा.केन्द्र की संख्या	ग्रामों की संख्या	अनुमानित जनसंख्या
1	चिचोली	2	35	20121
2	शाहपुर	9	44	32076
3	भीमपुर	7	38	37413
4	घोडाडोंगरी	3	17	13889
योग	4	24	134	103499

कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु समय-सारणी

क्रं.	कार्य का विवरण	समय सीमा
1	कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	30 जुलाई 2019
2	दवा का वितरण	01 अगस्त 2019
3	प्रथम चरण का औषधि सेवन कराना	03 अगस्त, 10 अगस्त एवं 17 अगस्त
4	द्वितीय चरण का औषधि सेवन कराना	11 सितम्बर, 18 सितम्बर एवं 25 सितम्बर

अभियान का पर्यवेक्षण

1. जिला स्तर – जिला स्तर से आयुष अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी एवं महिला बाल विकास अधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण कर कार्यक्रम का पर्यवेक्षण वितरण दिनांक को किया जावेगा।
2. ब्लॉक स्तर – ब्लॉक स्तर पर नोडल आयुष अधिकारी तथा मलेरिया टेक्नीकल सुपरवाइजर या मलेरिया निरीक्षक द्वारा पर्यवेक्षण किया जावेगा।
3. सेक्टर स्तर – सेक्टर स्तर पर संबंधित क्षेत्र के सेक्टर आयुष अधिकारी एवं सेक्टर सुपरवाइजर द्वारा किया जावेगा।
4. उप.स्वा.केन्द्र स्तर – उप.स्वा.केन्द्र स्तर पर ए.एन.एम. अथवा एम.पी.डब्ल्यू. द्वारा पर्यवेक्षण किया जावेगा।

औषधि का सेवन

औषधि का सेवन संबंधित ग्राम की आशा कार्यकर्ता एवं आंगनवाडी कार्यकर्ता के द्वारा कराया जावेगा।

रिपोर्टिंग की समय अवधि

क्रं.	दवा सेवन दिनांक	रिपोर्टिंग की अंतिम समय अवधि
1	03 अगस्त	08 अगस्त
2	10 अगस्त	14 अगस्त
3	17 अगस्त	21 अगस्त
4	11 सितम्बर	15 सितम्बर
5	18 सितम्बर	22 सितम्बर
6	25 सितम्बर	29 सितम्बर